कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2336 / FP/UK/ROAD/34354/2018 :देहरादूनः दिनांकः 10- अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग हेतु 3.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2019/एफ0सी0/1520 दिनांक 09–10–2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 2137/12–1 दिनांक 18.04.2022 एवं 1719/12–1 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–1)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि को जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के आदेश संख्या 404/XVI-ALC-2(2018-19) दिनांक 30.06.2021 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किया गया है।
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.66 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम, भुत्सी सिविल खसरा नं0 42, 134, 135, 204, 205, 525 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के	**(क)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम भुत्सी सिविल की 6.66 हे0 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु मु0 22,45,645.00 धनराशि जमा की गयी है। **(संलग्न–2)** **(ख)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के आदेश संख्या 404/XXVI-

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	ALC-2 (2018-19) दिनांक 30.06.2021 से ग्राम-भुत्सी की खाता संख्या-8 की खसरा संख्या 42, 134, 135, 204, 205, 525 की सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करवाया गया है। सचिव, वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 872/X-3-22/1(53)/2019 दिनांक 16.09.2022 द्वारा उक्त सिविल भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। **(संलग्न-3)**
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	**(ग)** शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है, तत्सम्वन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। **(संलग्न-4)**
4.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :-**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.33 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**(क)** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा 3.33 हे0 वन भूमि 06,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 21,87,810.00 एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(ख)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्तावक विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न है। **(संलग्न-5)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार मसूरी वन प्रभाग में 10 trees एवं नरेन्द्रनगर मुनी की रेती में 03 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रत्यावर्तित वन भूमि में न्यूनतम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्तुत प्रस्तावनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 03 एवं मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 10 से अधिक नही होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत भी जमा क जायेगी। **(संलग्न-6)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
6.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा की गई है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**
7.	State Gove. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि गाईडलाईन के पैरा 11.2 के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्राप्त की जायेगी तो ऐसी अनुमति के 01 वर्ष पश्चात अथवा विधिवत स्वीकृति से पूर्व कोई भी गतिविधियां नही की जायेगी, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–8)**
8.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–9)**
9.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें। **(संलग्न–10)**
10.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। **(संलग्न–11)**
11.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा। **(संलग्न–12)**
12.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। **(संलग्न–13)**
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। **(संलग्न–14)**
14.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि के आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। **(संलग्न–15)**

\/

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
15.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)**
16.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि उक्त परियोजना वन भूमि हस्तान्तरण का है, जिस हेतु परियोजना की पूर्ण अवधि को लक्षित नही किया जा सकता है। **(संलग्न–17)**
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है कि वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिदिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। **संलग्न–18)**
18.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
20.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तों की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जायेगी। **(संलग्न–21)**
21.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें तथा वन विभाग के पर्यवेक्षक में परियोजना की लागत पर उक्त क्षेत्रों में उपयुक्त प्रजातियों के पौधो लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवा क्षेत्र को यथास्थान रखने हेतु दवारे बनाई जायेगी, निस्तारण सीलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
		मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जायेगी। तत्सम्वन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)**
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है कि परियोजना के निर्माण हेतु यदि कोई अन्य सम्वन्धित अधिनिय/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन आवश्यक वॉछित अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ली जायेगी। **(संलग्न–23)**
23.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

10/4/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– / FP/UK/ROAD/34354/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 2137/12–1 दिनांक 18.04.2022 एवं 1719/12–1 दिनांक 22.02.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,